RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १४] मंगळवार, जुलै ४, २०१८/आषाढ १३, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

विधि तथा न्याय विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांकित २७ जून २०१८।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVIII OF 2018.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १८ सन् २०१८।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; सन् १९०८ का ५।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त हुए हैं ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सिविल प्रक्रिया (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, २०१८ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, सन् १९०८ का ५ की धारा ९क का अपमार्जन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं) की धारा ९क, अपमर्जित की जायेगी। सन् २०१८ का ५।

व्यावृत्तियाँ।

३. मूल अधिनियम की धारा ९ क के अपमार्जन के होते हुये भी,—

(१) जहाँ, धारा ९क के अधीन विरचित प्रारम्भिक विवाद की विचारणा, सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में " संशोधन अध्यादेश " कहा हैं) के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रलंबित हैं, वहाँ, उक्त विवाद्य, मूल अधिनियम के आदेश चौदह के अधीन विरचित विवाद्य समझा जायेगा और वाद के अपने अंतिम निपटान के समय पर सभी अन्य विवादों के समेत, जैसा कि उचित समझा जाये, न्यायालय द्वारा, विनिश्चित किया जायेगा : सन् १९०८ का महा. अध्या. क्र. १८।

परंतु, धारा ९क के अधीन इस प्रकार विरचित प्रारम्भिक विवाद्य पर, वाद के लिये, सबूत, यदि किन्ही हो, किसी पक्ष या पक्षों ने प्रस्तुत किये हैं, तब वाद के उसके अंतिम निपटान के समय पर, वाद में के अन्य विवाद्यों पर प्रस्तुत, सबूत, यदि किन्ही हो, के समेत, न्यायालय द्वारा, ध्यान में लिया जायेगा ;

(२) सभी मामलों में, जहाँ, धारा, ९क के अधीन विरचित प्रारंभिक विवाद्य, वाद पर विचार करने की अधिकारिता न्यायालय को हैं, धारण करते हुये, विनिश्चित किया गया हैं और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसे विनिर्णय पर आपत्ति उठाना, संशोधन अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रलंबित हैं, ऐसी पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ समाप्त होंगी :

परंतु, ऐसे विवाद्य में न्यायनिर्णय, अधिकारिता धारण करने वाले आदेश में, किसी गलती, दोष या अनियमितता के कारण अपील किया गया हैं, वहाँ, अपील के ज्ञापन में, यदि ऐसे ज्ञापन में सम्मिलित है के रूप में आपत्ति के आधार पर में से एक हो, ऐसे विवेचित किया जायेगा ;

(३) सभी मामलों में, जहाँ, धारा, ९क के अधीन विरचित प्रारम्भिक विवाद्य, वाद पर विचार करने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं हैं, धारण करते हुये, विनिश्चित किया गया है और अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसे विनिर्णय पर आपत्ति उठाना, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर, प्रलंबित, हैं, ऐसी अपीलीय या पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ, जैसे कि, संशोधन अधिनियम, अधिनियमित नहीं किया गया हैं और धारा ९क अपमार्जित नहीं हुई हैं, निरंतर रहेगी :

परंतु, धारा ९क के अधीन, इस प्रकार विरचित प्रारम्भिक विवाद्यों के पुनर्विचारण के लिये परीक्षण न्यायालय को ऐसी अपील या पुनरीक्षण प्रतिप्रेषित करना, परीक्षण न्यायालय द्वारा, इन कार्यवाहियों की प्राप्ति पर भागतः अनुमत किये जाने के दौरान, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के मामलें में, मूल अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे ;

(४) सभी मामलों में, जहाँ, धारा ९क, उसके अपमार्जन के पूर्व की उप-धारा (२) के अधीन, **अंतरिम** राहत मंजूर करनेवाला आदेश, मंजूर किया गया हैं, वहाँ, ऐसा आदेश, मूल अधिनियम का आदेश ३९ के अधीन बनाया गया **अंतरिम** आदेश समझा जायेगा और, न्यायालय, आवेदन, जिसमें, ऐसा आदेश बनाया गया हैं को विनिश्चित करने के समय पर, ऐसा आदेश या तो, निश्चित या रदद् या रुपांतरित करेगा।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य में, यथाप्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता [(महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९७० (सन् १९७० का महा. २५) द्वारा, **इंडो-पोर्तुगीज संस्था बनाम बोर्जस्** (१९५८) ६०, बम्बई, एल. आर. ६६०] के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के प्रभावों को मिटाने की दृष्टि से, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का ५), में धारा ९क निविष्ट की गयी थी।

उस समय, जब, उक्त संहिता की धारा ८० के अधीन जारी की गई विधिमान्य सूचना के बिना, बम्बई शहर सिविल न्यायालय में, सरकार के विरुद्ध वाद दर्ज किया गया था, तब, न्यायालय ने, अधिकारिता का प्रश्न उठाये बिना, अंतरिम आदेश मंजूर किया था और वादी को स्थगन दिया था। इससे, वादी को सरकार को सूचना जारी करने में समर्थ बनाया था। सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात्, वादी, तब स्वतंत्रता से वाद पिछे ले कर एक नया वाद दर्ज करा सकता था और नये रुप से दर्ज वाद में, पूर्वतर मंजूर किये गये अंतरिम आदेश निरंतर रखा जा सकता था।

इसलिए, ऐसा महसूस होता हैं कि, अधिकारिता का प्रश्न उठाए बिना, जब कि उठाया गया हो, तब भी आदेश मंजूर करने की प्रथा का गंभीर दुरुपयोग हो रहा हैं। यह पृष्ठपट के विरुद्ध हैं कि, संहिता में धारा ९क पुरःस्थापित की गई थी।

२. सन् १९७६ में, संसद द्वारा अधिनियमित, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९७६ (सन् १९७६ का १०४) द्वारा, उक्त संहिता व्यापक रूप से, संशोधित की गई है। इसलिए, आशंका की कोई भी जगह न हो, चाहे राज्य संशोधन निरंतर प्रवृत्त है या निरसित हुये हैं, के लिये, सन् १९७० का महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, निरसित किया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९७७ (सन् १९७७ का महा. ६५) द्वारा धारा ९क फिर से पुनः अधिनियमित की गई थीं।

३. तथापि, न्यायिक अनुशेष के लिए और कई जटिलता बढ़ाने के लिए सहायक हुई धारा ९क के उपबंध बोझिल और नीरस बन गए हैं। **मेहेर सिंग बनाम दिपक सोवनी,** [(१९९८) ३ एमएच. एल. जे. ९४०] में यह निर्णय लिया गया हैं कि, जहाँ, अधिकारिता के वाद में तथ्य और विधि का मिश्र प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं, वहाँ, पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। **फोरशोअर सहकारी आवास संस्था बनाम प्रविण डी. देसाई** [(२०१५) ६ एसएससी ४१२ और **संदीप गोपाल रहेजा बनाम सोनाली निमिष अरोरा** (२०१६) एसएससी लाईन बम्बई। ९३७८ पर] में यह निर्णय दिया गया हैं कि, धारा ९क प्राकृतिक रुप से अनिवार्य हैं, जहाँ, न्यायालय की अधिकारिता पर प्रतिवादी आपत्ति उठाता हैं और न्यायालय को कोई विवेक नही हैं और विवाद्य विरचित करने और उसे विनिश्चित करने के लिये बाध्य हैं। **मुकुंद लिमिटेड बनाम मुंबई आंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन,** [(२०११) २ महा. एलजे ९३६] में यह निर्णय लिया गया है कि, मुकदमेबाजी की नीति के रूप में, प्रतिवादी, भी, अंतरिम आवेदन की सुनवाई पर उसकी अधिकारिता विषयक आपत्ति नहीं लेने का विनिश्चय नहीं कर सकेगा। चाहे, धारा ९क में, **प्रतिवादी** द्वारा निवेदन समाविष्ट हैं या नहीं का प्रश्न कि, परिसीमा की विधि द्वारा वाद बाधित हैं, वह विवादास्पद में से एक है, जो, दिनांकित १७ अगस्त, २०१५ के आदेश के आधार पर, **जगदीश श्यामराव थोरवे बनाम श्री. मोहन सिताराम द्रविड,** एसएलपी (सी) २२४३८/२०१५, में उच्चतम न्यायालय के बडे न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट किया गया था।

परिणामस्वरुप, उक्त संहिता की धारा ९क ने, कम-से-कम दो न्यायिक अवरोध बढ़ाये हैं, जिससे, मामलों के शीघ्रगति निपटान में बाधा डाली हैं। प्रथमतः जब, संहिता की धारा ९क के अधीन वाद उठाया जाता हैं, तब न्यायालय, परीक्षण, जिसमें ऐसा वाद समाप्त नहीं होता हैं और वाद अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता हैं, तब तक, प्रावेदन का निपटान नहीं कर सकता हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, प्रावेदन कई वर्षों के लिए प्रलंबित रह जाता हैं, और अंतरिम राहत वस्तुतः अंतिम राहत के रूप में ढोंग लेती है। दूसरा यह कि, जब ऐसा वाद उठाया जाता हैं, दो परीक्षण संचालित करने होते हैं, जैसे, एक प्रारम्भिक वाद पर और अन्य शेष वादों पर, प्रत्येक उसके अपने अपीलों की संख्या और विशेष अवकाश याचिका के अध्यधीन होते हैं। यह सभी अनावश्यक रूप से, द्विरावृत्ति के साथ, न्यायालय पर बोझ डालती हैं और परिणामिक न्यायिक समय और स्त्रोत व्यर्थ हो जाते हैं। वास्तव में,

माधुरीबेन के मेहता बनाम आश्विन रुपसी नायडू, [(२०१२) ५ बम्बई सी. आर. २७] में, बम्बई उच्च न्यायालय के ध्यान में आया हैं कि, धारा ९ क, " दोहराए गये आवेदनों द्वारा, द्विरावृत्ति के काम का दुरुपयोग बढाती है, जो स्थानिक रूप से चक्करदार प्रथा हैं । "।

४. उक्त धारा ९क के अपमार्जन द्वारा, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

५. प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर न्यायालय में लम्बित कार्यवाहियों पर धारा ९क के अपमार्जन और के परिणामस्वरुप उपबंध करने के लिए अवसर भी लिया जा रहा। उपबंध करने के लिए प्रस्तावित कि,—

(क) उसके वाद के अंतिम निर्णय के समय में विनिश्चय किये जानेवाले उस संबंध में पहले ही साक्ष के विचार-विमर्श समेत सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश १४ के अधीन विरचित अन्य विवाद्य विषय के साथ लम्बित प्रारम्भिक विवाद्य विषय ;

(ख) विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण मंच के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण का उपशमन यह धारण करता है कि वाद के ग्रहण करने की अधिकारिता है ताकि यदि वाद अंतिम निर्धारित (डिक्रीड) है के मामले में अपील स्तर में अधिकारिता के विवाद्य विषय पर निष्कर्षों की चुनौती के लिए प्रतिवादी के अधिकार सक्रिय रखते समय स्वयं वाद के तत्काल और अंतिम निपटान सुनिश्चित किया जा सके ;

(ग) विचारण न्यायालय के निर्णय विरुद्ध अपील न्यायालय के समक्ष लम्बित अपीलों का जारी रहना यह धारणा करता है कि वाद के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है मानों कि धारा ९क अपमार्जित नहीं की गई है, ऐसे मामले में स्वयं वाद अंतिमतः खारिज किया गया है ;

(घ) उपबंध है कि धारा ९क की उप-धारा (२) के अधीन अनुदत्त उसके अपमार्जन के पूर्व अंतरिम राहत सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश ३९ के अधीन किये गये अंतरिम आवेदन में अंतरिम आदेश के रूप में माना जायेगा जो अंतरिम आवेदन की अंतिम सुनवाई में पुष्टिकारक या रिक्त हो सकेगा।

६. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का महा. ५) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई :
दिनांकित २६ जून २०१८।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

नि. ज. जमादार,
सरकार के प्रमुख सचिव तथा विधि परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.